निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान. जयपुर
कार्यालय ओदश

एफ 1(175) स्था/निकाशि/2011/09 दिनांक 14/3/2012

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
....
....

विषयः राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत नियुक्त शैक्षणिक एवम् अशैक्षणिक अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवम् अवकाश आदि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं–

1. राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–10 के तहत समायोजित कार्मिकों को उनके द्वारा प्रस्तुत गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) के आधार पर जुलाई–2011 से नियमानुसार राज्य सेवा में उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त कर रहे वेतन भत्तों की दर से वेतन का भुगतान किया जावेगा।
2. राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–10 के बिन्दू सं–06 अनुसार राज्य सेवा में नियुक्त गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों की अन्य सेवा शर्ते 01.01.2004 को या उसके पश्चात् सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू विभिन्न नियमों द्वारा विनियमित होंगी।
3. राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–10 के तहत नियुक्त कार्मिक नियमानुसार उपार्जित अवकाश एवम् स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश (मेडिकल अवकाश) नियुक्ति से अर्जित करेंगें।
4. महिला कार्मिक नियमानुसार प्रसूति अवकाश के लिए पात्र होंगे।
5. राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–10 के तहत नियुक्त कार्मिक अवैतनिक अवकाश लेने के लिए अधिकृत होंगे। अवैतनिक अवकाश के आधार पर इनकी वेतनवृद्धि प्रभावित होगी।
6. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के तहत समायोजित कार्मिकों को राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति के पश्चात अकादमिक अवकाश आदि दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् सरकारी सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों पर लागू विभिन्न नियमों द्वारा विनियमित होंगे।
7. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–10 के तहत समायोजित कार्मिक अपने प्रत्येक आवेदन में अपने नाम के सम्मुख RVRES आवश्यक रूप से अंकित करेंगें।

निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर